संख्या–2028/III–2/04–34 (बजट)/2004

प्रेषक,

टी.के. पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 07 अक्टूबर,2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 में मशीनरी तथा उपस्कर एवं अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 1944/48 बजट (म.उ.अनु.)/2004–05 दिनांक 10.9.2004 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में लोक निर्माण विभाग के अर्न्तगत मशीनरी तथा उपस्कर साधारण मशीनों और उपकरण अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5.00 लाख (रू0 पाँच लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का मासिक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू/निर्माणाधीन योजनाओं पर ही किया जायेगा तथा शासन की पूर्वानुमति के बिना नई योजनाओं पर धनराशि का व्यय कदापि नही किया जायेगा । कार्यवार आबंटित धनराशि की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी ।

3. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्व अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जाय,और अनुरक्षण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार ही किया जाय। उपककरणो का क्रय आदि मे डी.जी. एस. एण्ड.डी. की दरो पर ही किया जायेगा ,यदि ये डी.जी. एस.एण्ड.डी. की दरो पर नही है तो टैण्डर/कुटेशन विषयक समस्त नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा ।

4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा सक्षन प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–2 विस्तृत आगणनों पर सक्षन प्राधिकारी की तकनिकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय,व्यय उन्ही मदो में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है । मशीनरी /उपस्कर के अनुरक्षण का व्यय इसके मानक के अनुरूप ही किया जायेगा ।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक –2059 लोक निर्माण कार्य–80 सामान्य(क्रमश) आयोजनागत–052 मशीनरी तथा उपस्कर –साधारण –03– मशीने और उपस्कर –00–29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–1488/वित्त अनुभाग–3/2004 दिनांक,5 अक्टूबर 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

क्रमश 2–

NIC
631

संख्या–2028 (1)/लो.नि.2/04–34(बजट)/04 तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल/कुमांऊ मंडल /पौडी /नैनीताल ।
3– निजी सचिव,मा.मुख्य मंत्री जी को मा.मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
4– अपर सचिव वित्त (बजट अनुभाग),उत्तरांचल शासन ।
5– समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकरी, उत्तरांचल
6– मुख्य अभियन्ता , गढवाल/कुमांऊ क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी /अल्मोडा ।
7– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ,उत्तरांचल,देहरादून ।
8– [illegible] कोषाधिकारी देहरादून/नैनीताल ।
9– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन ।
10– लोक निर्माण अनुभाग–1 उत्तरांचल शासन / गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

R.dwivedi-Go-new